

**न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0**

**समक्ष:-वीरेन्द्र सिंह राजपूत**

**प्रकरण कमांक 305/2016 विशेष**

**संस्थापित दिनांक 19-10-2016**

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र  
गोहद चौराहा जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

**बनाम**

1. नाथूराम पचौरी पुत्र हरनारायण पचौरी, उम्र 45 वर्ष।
2. करू उर्फ रामभरत पचौरी पुत्र नाथूराम, उम्र 28 वर्ष।  
समस्त निवासी ग्राम जस्तपुरा थाना गोहद चौराहा,  
जिला भिण्ड म0प्र0

-----अभियुक्तगण

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह  
गुर्जर।

अभियुक्तगण द्वारा श्री के0सी0 उपाध्याय अधिवक्ता।

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री ए0के0  
गुप्ता के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क0  
606/2016 इ0फौ0 से उद्भूत यह सत्र प्रकरण क0  
305/2016

//आ दे श//

//आज दिनांक 01-08-2017 को पारित//

01. प्रकरण में यह आदेश दं.प्र.सं. की धारा 232 के अंतर्गत पारित किया जा रहा है।
02. प्रकरण में अभियोजन की ओर से आरोपीगण पर दिनांक 11.04.2016 को 15:25 बजे  
ग्राम जस्तपुरा में फरियादी के घर के सामने फरियादी को सार्वजनिक स्थान या उसके निकट अश्लील

शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने एवं आहत लज्जाराम व राकेश को सिर में लुहांगी, लाठी को आक्रामक आयुध के रूप में प्रयुक्त की जिनसे कि आहतगण की मृत्यु कारित होना संभाव्य थी मारपीट कर स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की जो कि सामान्य आशय के अग्रसरण में कारित करने एवं फरियादी को संत्राश कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राश कारित करने के संबंध में भा.द.वि की धारा 294, 326(टू काउंट) विकल्प में धारा 326/34 (टू काउंट) एवं 506 के अंतर्गत आरोप है।

03. संक्षेप में अभियोजन प्रकरण इस प्रकार रहा है कि घटना दिनांक 11.04.2016 को सुबह नो बजे फरियादी लला उर्फ श्यामसुंदर अपने घर के बाहर था तभी उसके चाचा नाथूराम शामिलाली तराजू मांगने आए तो फरियादी ने कहा कि उन्हें काम है बाद में दे देंगे। इसी बात पर नाथूराम उसे माँ बहन की गालियाँ देने लगा तभी उसका भाई राकेश व पिता लज्जाराम आए और गाली देने से मना किया तो नाथूराम ने लुहांगी राकेश को मारी जो उसके सिर में लगी चोट होकर खून निकल आया और दूसरी लाठी मारी जो बाँए आँख पर लगी। उसी समय आरोपी करू आ गया और उसने लज्जाराम को लाठी मारी जो सिर में बाँए तरफ लगी चोट होकर खून निकल आया। तभी गाँव के जगदेव, धर्मेन्द्र आ गए जिन्होंने बीच बचाव कराया। आरोपीगण जाते समय कह रहे थे कि आज तो बच गये हो आइंदा जान से खत्म कर देंगे। उक्त आशय की रिपोर्ट फरियादी द्वारा सी.एच.सी. गोहद में लेखबद्ध कराई जो कि देहातीनालसी 0/16 अंतर्गत धारा 324, 323, 294, 506बी, 34 भा.द.वि का पंजीबद्ध किया गया।

04. फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर से थाना एण्डोरी में असल प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 86/16 पर दर्ज किया गया। अनुसंधान के दौरान साक्षियों के कथन अंकित किए गए, घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, आहतगण का मेडीकल परीक्षण कराया गया जिस पर से धारा 326 भा.द.वि का इजाफा किया गया। आरोपीगण की गिरफ्तारी की गई, आवश्यक वस्तुओं की जप्ती की गई, तत्पश्चात् आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध कारित होना पाए जाने से आरोपीगण के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद के समक्ष भा.द.वि की धारा 326, 324, 323, 294, 325, 506बी, 34

भा.द.वि के अंतर्गत अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया जो कि मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणी होने से उपर्पाण उपरांत माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विधिवत निराकरण हेतु इस न्यायालय को भेजा गया।

05. आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया भा.द.वि की धारा 294, 326(टू काउंट) विकल्प में धारा 326/34 (टू काउंट) एवं 506 का अपराध पाये जाने से आरोप विरचित कर आरोपीगण को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार करते हुये विचारण चाहा। तत्पश्चात् अभियोजन की ओर से अपने मामले को प्रमाणित करने के लिये साक्षी श्यामसुंदर अ0सा0 1, लज्जाराम अ0सा0 2, कमला बाई अ0सा0 3, जगदेवसिंह अ0सा0 4, धमेन्द्र सिंह अ0सा0 5, राकेश अ0सा0 6, जितेन्द्र तोमर अ0सा0 7, रामकुमार पाठक अ0सा0 8, का परीक्षण कराया गया है।

06. आरोपीगण का द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने अपने-आप को निर्दोष होना व्यक्त करते हुए झूठा फँसाया जाना अभिकथित किया है।

07. प्रकरण में आहत साक्षी लज्जा अ0सा0 2, अ0सा0 6 का अपने कथनों में कहना रहा है कि वह आरोपीगण को जानते है। साक्षीगण का कहना है कि तराजू पर से आपस में विवाद हो गया था। साक्षी लज्जाराम अ0सा0 2 का कहना है कि उसका लडका राकेश भागकर आया तो दरवाजे से चोट आई गई थी और वह खरंजा पर गिर गया था जिससे उसे चोटें आई थी। इसी प्रकार के कथन आहत साक्षी राकेश अ0सा0 6, श्यामसुंदर अ0सा0 1 के रहे है। साथ घटना के संबंध में चक्षुदर्शी बताए गए साक्षी एवं अन्य अभियोजन साक्षी जगदेव अ0सा0 4, धर्मेन्द्र अ0सा0 5 व कमलाबाई अ0सा0 3 एवं साक्षी जितेन्द्र तोमर अ0सा0 7 के द्वारा अपने कथनों में अभियोजन कथानक का कोई समर्थन नहीं किया है। उक्त सभी साक्षियों को अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर उनके समक्ष अभियोजन कथानक रखे जाने के पश्चात् भी साक्षीगण ने अभियोजन कथानक का लेशमात्र समर्थन नहीं किया है।

08. अभियोजन साक्षी रामकुमार पाठक अ0सा0 8 के द्वारा फरियादी के लिखाए जाने पर सी.एच.सी. गोहद में प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट देहातीनालसी के रूप में लेखबद्ध की है जिस पर से असल कायमी प्र0आर0 किशनलाल के द्वारा करना उक्त साक्षी द्वारा बताया गया है। साक्षी ने आगे

बताया है कि प्रकरण की विवेचना में उसके द्वारा घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया है एवं साक्षीगण के घटना के संबंध में कथन लेखबद्ध किए गए हैं एवं आहत राकेश को आई चोटों के संबंध में सी.एच.सी. गोहद से क्वेरी की गई है तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर जप्ती आदि की कार्यवाही की है।

09. प्रकरण में सभी महत्वपूर्ण साक्षियों के कथन अभिलिखित किए जा चुके हैं। संबंधित विवेचनाधिकारी ने अपने कथनों में की गई कार्यवाही का समर्थन किया है, किन्तु प्रकरण के फरियादी एवं आहतगण एवं चक्षुदर्शी साक्षियों ने आहतगण के साथ आरोपीगण के द्वारा किसी भी प्रकार की घटना किये जाने से इन्कार किया है। यहाँ तक कि अभियोजन के शेष साक्षियों ने भी आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं किए हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण में इस स्टेज पर केवल जप्ती और गिरफ्तारी के तथ्य के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य नहीं है। प्रस्तुत साक्ष्य आरोपीगण को अपराध से नहीं जोड़ती है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में इस स्टेज पर उभय पक्ष को सुनने के पश्चात् ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि आरोपीगण ने अपराध किया है।

10. परिणामतः द.प्र.सं की धारा 232 के अंतर्गत आरोपीगण नाथूराम पचौरी व करु उर्फ रामभरत को आरोपित अपराध धारा 294, 326(टू काउंट) विकल्प में धारा 326/34 (टू काउंट) एवं 506 भा.द.वि के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11. आरोपीगण जमानत पर होने से उनके जमानत मुचलके एवं बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं।

12. आरोपीगण का धारा 428 द.प्र.सं के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र तैयार किया जावे।

13. निर्णय की एक प्रति अपर लोक अभियोजक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट, भिण्ड को भेजी जावे।

14. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे।

अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित  
हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद  
जिला भिण्ड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद  
जिला भिण्ड (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)